

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

इन्हेमालात

विपक्षी

मगवानलाल

मुकदमा

बाद

पत्रावली संख्या

178/21

सन्

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर  
सूचनाएँ ज

12.6.24

पत्रावली पत्र इच्छी वार्दी अधिवक्ता कउपस्थित।

पत्रावली तामिल लेतु चिप्रा हो वार्दी अधिवक्ता दिनांक 20.5.24 को भी कउपस्थित थे। न्यायालय द्वारा कउ-

कउ कर कउ वार वार्दी को प्रवाज लगावई बाबजूद इलेके कोई उपस्थित नहीं होने से ~~कउ~~ यह जाहिर है

कि वार्दी अपने वाद से प्रति शंभर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वार्दी का वाद कादेश व नियम 8 के तहत अदम होजरी अदम परवी के खारिज किया जाता है। निर्णय ले इजलास दुनाया गया।

प्रकरण कैतलमुआ होडा दाखिल दफतर

हा।

(रियासबी)  
DAS